



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(तृतीय पक्ष प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016

(THIRD PARTY ADMINISTRATORS - HEALTH SERVICES) REGULATIONS, 2016

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 006

Certificate of Registration No. 006

1. मेसर्स पैरामाउन्ट हेल्थ सर्विसेस अॅन्ड इंशुरेंस टिपिए प्रा. लि. तृतीय पक्ष प्रशासक का पंजीकरण बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के आधिन नवीकृत किया जाता है।
1. The registration of M/s. **Paramount Health Services & Insurance TPA Private Limited** is hereby renewed as per provisions of Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and IRDAI (TPA – Health Services) Regulations, 2016 to act as Third Party Administrator.
2. यह पंजीकरण 21-03-2017 से 20-03-2020 तक विधिमान्य होगा।
2. This Registration shall be valid from 21-03-2017 to 20-03-2020.
3. यह पंजीकरण इस शर्त के आधिन जारी किया जाता है कि तृतीय पक्ष प्रशासक, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा।
3. This Registration is renewed subject to the condition that the TPA shall comply with all the provisions of the Act, Insurance Regulatory and Development Authority, Act 1999 (4 of 1999), and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrator – Health Services) Regulations, 2016, the rules or regulations made there under and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान : हैदराबाद

Place : Hyderabad

तारीख: 22-02-2017

Date: 22-02-2017

कुले

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India

